नोटिस

पूर्वांचल बैंक कर्मचारी पेन्शन विनियम, 2018 के अध्याय VIII में संराशीकरण (Commutation) के पात्र व्यक्तियों की विस्तृत व्याख्या की गयी है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(i) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिये अपने मूल पेन्शन के 1/3 से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा।
किन्तु ऐसे कर्मचारी के मामले में जो प्रभावी तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2018 के पहले सेवा में थे परन्तु अधिसूचित तिथि अर्थात् 05 दिसम्बर 2018 के पहले उसकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गयी हो, ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब भी संराशीकरण के पात्र होंगे।

(ii) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेन्शन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संराशीकरण भाग की पेन्शन को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा।

(iii) यदि संराशीकरण के लिये पेन्शन का भिन्न एक रूपये का अंश हो तो संराशीकरण के प्रयोजन से इसे छोड़ दिया जायेगा।

(iv) किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की संगणना पेन्शन विनियम के अध्याय VIII, अनुच्छेद 39(4) के अनुसार होगी।

(v) कोई कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होकर **सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर** पेन्शन के संराशीकरण के लिये आवेदन करता है तो उनके लिये कोई चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं होगी तथा **इस हेतु उसे प्रारूप VI पर आवेदन करना होगा।**

(vi) यदि कोई पेन्शनभोगी **सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात्** पेन्शन के संराशीकरण के लिये आवेदन करता है तो उसकी अनुमति **चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी।** इस हेतु उसे **प्रारूप VII व प्रारूप VIII पर आवेदन करना होगा।**

(vii) जो कर्मी 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 तक सेवा में था और 31 मार्च, 2018 तक या पहले सेवानिवृत्त हुआ है और इन विनियमों के तहत निधि के सदस्य बनने का विकल्प लिया है तो विनियम (3) के उप विनियम (1) में अंकित विशिष्ट अवधि के भीतर आवेदन, सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रारूप VI में और अन्य मामले में प्रारूप VII और प्रारूप VIII में, करने पर 1 अप्रैल 2018 को अर्ह होगा।

(viii) जो 1 अप्रैल 2018 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में था परन्तु जो इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप VI में आवेदन करता है तो पेन्शन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

क्रमशः.......................(2)

(ix) जो 1 अप्रैल 2018 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होता है परन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि प्रारूप VI में मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा उनकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर विनियम 3 के उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिये आवेदन किया गया है तो पेन्शन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

(x) जिसकी बाबत विनियम 28 के अधीन अशक्त पेन्शन या विनियम 29 के अधीन अनुकम्पा भत्ता या विनियम 31 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेन्शन अनुज्ञेय है, पेन्शन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख को पूर्ण होगा।

2. उपरोक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु बैंक द्वारा नामित चिकित्सक डॉ0 ए0के0 केडिया को अधिकृत किया गया है जो बैंक के प्रधान कार्यालय में चल रही डिस्पेन्शरी में सम्बन्धित व्यक्तियों का परीक्षण निशुल्क करेंगे। चिकित्सक की सलाह पर यदि किसी प्रकार के जांच की आवश्यकता होगी तो ऐसी जांच शाही ग्लोबल हास्पिटल, बुद्ध विहार व्यवसायिक, तारामण्डल, गोरखपुर, जिनसे इस प्रयोजन हेतु विशेष छूट प्राप्त कर रियायती दर अनुमन्य कराई गयी है, से स्वयं के खर्चे पर करायी जायेगी।

आवेदन पत्र प्रारूप VI, प्रारूप VII एवं प्रारूप VIII संलग्न है।

महाप्रन्धक (प्रशासन एवं आई0टी0)